

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य निदेशालय  
आदेश

आ०सं०-६ / एन-०८-१७७ / २०१८.....

/ पटना-१५, दिनांक-

शांतिदूत ट्रस्ट, 201 आर० इन्कलेभ, रोड नं०-३ / ३३१, न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना-८०००१३ द्वारा प्रस्तावित गौतम इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग, सैयद बहरी, हिलसा, चण्डी रोड, नालन्दा के अंतर्गत बी०एस०सी० (नर्सिंग) संस्थान संचालन के लिए अनुमति हेतु आवेदन, शपथ-पत्र एवं अन्य अभिलेख समर्पित किया गया।

(2) आवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरांत नर्सज ट्रेनिंग-रिकोगनिशन एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ इक्जामिनेशंस ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग रूल्स, 1997 के नियम-०४ के उपनियम-II के अन्तर्गत वर्णित प्रावधानानुसार गौतम इन्स्टीच्यूट ऑफ नर्सिंग, सैयद बहरी, हिलसा, चण्डी रोड, नालन्दा के नाम से बी०एस०सी० (नर्सिंग) संस्थान की स्थापना के लिए अनुमति प्रदान की जाती है।

(3) भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली द्वारा निर्गत मार्गदर्शन तथा स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक-११६(६) दिनांक-१५.०२.२०१७ में दिए निदेश के आलोक में संस्थान द्वारा भवन निर्माण करने एवं नियमानुसार भौतिक संसाधनों एवं मानव संसाधनों की उपलब्धता के पश्चात् संस्थान द्वारा मान्यता के लिए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को आवेदन पत्र समर्पित करना होगा तथा मान्यता प्राप्ति के पश्चात् ही विद्यार्थियों का नामांकन कर पठन-पाठन का कार्य आरंभ होगा।

ह०/-

(डा० आर०डी० रंजन),

निदेशक प्रमुख,  
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- ११२२(६)

पटना, दिनांक:- २५/१०/१८

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- सचिव, शांतिदूत ट्रस्ट, 201 आर० इन्कलेभ, रोड नं०-३ / ३३१, न्यू पाटलिपुत्रा कॉलोनी, पटना-८०००१३ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

३२  
२५/१०/१८  
निदेशक प्रमुख,  
स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना।  
✓